

60

आदेश—पत्रक
(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

ख..... तक

आदेश पत्रक
जिला:- पटना

सन्

केश का प्रकार दाठ खाठ वाद सं० ५५ सन् १९४१

आदेश की क्रमसं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई ¹ कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित												
१५/४/३	<p>श्री रामचन्द्र प्रसाद व्यापारी वल्द ऐव रामनगरी साप थाना दानापुर जिला जहानाबाद के वाला नं० ४०७ दिनांक ०२/०२/२०१३ के आधार पर निम्नांकित जमीन का दाखिल-खारिज हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया है।</p> <table> <thead> <tr> <th>मौजा</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा</th> <th>एराजी</th> <th>लगान</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>आशीषुर</td> <td>३५</td> <td>१९</td> <td>१३३</td> <td>१०६४ रु</td> <td>१०००</td> </tr> </tbody> </table>	मौजा	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा	एराजी	लगान	आशीषुर	३५	१९	१३३	१०६४ रु	१०००	नाम गी।
मौजा	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा	एराजी	लगान									
आशीषुर	३५	१९	१३३	१०६४ रु	१०००									
१५/४/३	<p>मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन हेतु दें, आम महाल पर सूचना जारी कर आपत्ति की मांग करें। अभिलेख दिनांक १५/४/३ को रखें। लेखापित एवं संशोधित।</p> <p>अंचल अधिकारी दानापुर</p> <p>नोटिस का तामिला प्राप्त है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। राजस्व कर्मचारी का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उनलोगों ने आवेदक के नाम दाखिल-खारिज करने की अनुशंसा किये हैं। फलतः उनके अनुशंसा के आधार पर दाखिल-खारिज की दी जाती है। शुद्धि-पत्र निर्गत करें।</p> <p>अंचल अधिकारी दानापुर</p>	१५/४/३												